प्रेषक,

पाठ्य पुस्तक अधिकारी,
उ0प्र0विद्या भवन,निशातगंज,लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
____

पत्रांक बी0/2339-2409 /2011-12, दिनांक 22 जुलाई, 2011

विषयः— बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के अध्ययनरत सामान्य वर्ग के बालकों को निःशुल्क वितरण हेतु क्रय की गयी पाठ्य पुस्तकों के वर्ष 2010-11 के लिए द्वितीय किश्त की धनराशि का अभी तक न ही उपभोग किया गया है ,न ही अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता की कोई सूचना आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी है के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक शासनादेश संख्या—1283/79—5—11—60(30)96टीसी दिनांक 19,मई,2011 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में सामान्य वर्ग के कक्षा 6 से 8 तक के अध्ययनरत बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में अनुदान संख्या—71—के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के लेखा शीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा — आयोजनेत्तर —102—अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता—27—सामान्य वर्ग के कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण—20—सहायता अनुदान/अंशदान/राज सहायता में शासनादेश संख्या—1113/79—5—11—60(30)96टीसी दिनांक 13—4—2011 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0 9,28,40,000/—(रूपये नौ करोड़ अटठाइस लाख चालीस हजार मात्र)को गत वित्तीय वर्ष 2010—11 का अवशेष भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी ,जिसे इस कार्यालय के पत्रांक बी0/587—1001/2011—12,दिनांक 30,मई,2011 द्वारा तत्काल अवशेष भुगतान किये जाने तथा भुगतान उपरान्त अतिरिक्त अवशेष धनराशि की मांग उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया था।

आप अवगत हैं कि मुद्रकों/प्रकाशकों द्वारा दायर रिट याचिका पर मा0उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा निर्देशित किया गया है कि भुगतान की समस्त कार्यवाही तीन माह के भीतर सुनिश्चित कर दी जाए परन्तु आप द्वारा अभी तक उक्त आवंटित धनराशि का न ही उपभोग किया गया है और न ही अतिरिक्त अवशेष धनराशि का मांग पत्र ही उपलब्ध कराया गया है।

अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल द्वितीय किश्त की प्राप्त धनराशि का उपभोग करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त धनराशि का मांग पत्र प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के भीतर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।जिससे शासन की सेवा में वांछित धनराशि का मांग पत्र तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए।अन्यथा की स्थिति में मुद्रकों/प्रकाशकों द्वारा जो भी कार्यवाही की जाएगी उसका सम्पूर्ण दायित्व आप का होगा।

अग्रेतर सूच्य है कि इस कार्यालय के पत्रांक बी/1171—1242/2011—12, दिनांक 13 जून 2011 द्वारा आप से अपेक्षा की गयी थी कि उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011—12 में क्रय की गयी पाठ्य पुस्तकों के भुगतान हेतु धनराशि का मांग पत्र कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 पृथक—पृथक इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु कुछ जनपदों को छोड़कर अन्य जनपदों से सूचना अद्यतन अप्राप्त है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना है। अतः आप से पुनः अनुरोध है कि वांछित सूचना तत्काल अद्योहस्ताक्षरी

को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि संकलित सूचना शासन की सेवा में तत्काल प्रेषित की जा सके और शासन द्वारा समय से धनराशि प्राप्त हो सके।

भवदीय,

21/7/14

(राणा सहस्रांशु कुमार 'सुमन')
पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उ0प्र0,
विद्या भवन निशातगंज,लखनऊ।

पृ0सं0बी0/2339-2409/2011–12,तददिनांक ।

उपयुर्क्त की प्रतिलिपि मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)------------------को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने मण्डल के जनपदों की उपयुंर्क्त वांछित संकलित सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिशिचत करें जिसे तत्काल शासन की सेवा में प्रेषित कर धनराशि की मांग की जा सके।

(राणा सहस्रांशु कुमार 'सुमन')
पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उ0प्र0,
विद्या भवन निशातगंज,लखनऊ